आवश्यक/महत्वपूर्ण

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

पत्र संख्या–डीजी–परिपत्र संख्या– 73/2015 दिनांक: ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2, 2015

सेवा में,

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
उत्तर प्रदेश।

विषय: **अवैध शराब व मादक पदार्थो के व्यवसाय में लिप्त सकिय संगठित गिरोह के सरगना व सदस्यों जिनके पास से वृहद मात्रा में अवैध शराब / मादक पदार्थो की बरामदगी होती है, के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1996 के तहत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

उ0प्र0 गिरोहबन्द उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1996 की धारा–2(ख)(दो) में यह उपलब्ध है कि

" संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्राप्त अधिनियम सं0–4 सन् 1910) या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटैन्सेज एक्ट, 1985 (अधिनियम सं0 61 सन् 1985) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात या विकय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना समाज विरोधी कियाकलाप के रूप में परिभाषित है। "

**उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे आपराधिक गिरोह के सरगना व सकिय सदस्यों, जिनके द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अवैध शराब/मादक पदार्थो का व्यवसाय, परिवहन, आयात व निर्यात, विकय किया जाता है तथा उनके पास से वृहद मात्रा में शराब/मादक पदार्थो की बरामदगी होती है, उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करें।**

2/11/15

**(जगमोहन यादव)**
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।